

OC (w/e) 2

9/5/11

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक :- प. 17(1)साप्र/2/11

जयपुर, दिनांक : 05.5.2011

-: आदेश :-

निम्नांकित कर्मचारियों को उनकी चतुर्थ श्रेणी की वरियता/पात्रतानुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित राजकीय आवास नियमानुसार किराये पर एतद्वारा आवंटन किया जाता है :-

क्र. सं.	नाम व पद	आवास संख्या	सेवानिवृति तिथि	वरियता संख्य
1.	डॉ० रचना तिवारी व्याख्याता संस्कृत शहीद ले० अभय पारीक, राज० बा० उ० मा० विद्यालय, जयपुर	4/48 गॉधीनगर	30.6.2034	55/5
2.	श्री राजेन्द्र कुमार कुमावत वरिष्ठ लिपिक अपीलीय अधिकारी, अतिरिक्त मुख्य सचिव (विकास) एवं विकास आयुक्त शासन सचिवालय, जयपुर	4/बी/17 गॉधीनगर	30.6.2022	131/08
3.	श्री सतीश कुमार सैनी पशुधन सहायक पशु चिकित्सा पालीक्लिनिक पशुपालन विभाग, जयपुर	4/177 पुराना नं. एफ-990 गॉधीनगीर	31.12.2022	47/08
4.	श्री नीरज कुमार माथुर कनिष्ठ अनुदेशक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बनीपार्क, जयपुर	4/98 गॉधीनगर	31.12.2033	201/08
5.	श्री विश्वदीप दीक्षित कनिष्ठ लिपिक निदेशालय कोष एवं लेखा विभाग, जयपुर	4/99 गॉधीनगर	31.5.2030	202/08

शर्तें :-

1. आवास का कब्जा आवंटन की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
2. उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
3. सेवानिवृति दिनांक से दो माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
4. जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
5. स्वयं तथा पत्नी/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने /कय करने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
6. चूंकि उक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(III)ए के अनुसरण में आदेश प्रसारित होने के आवास रिक्त की तिथि से 8 दिवस में अथवा आवंटन स्वीकार करने के असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।
7. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी कृपया आवंटी के द्वारा आवास का कब्जा रिक्त होने की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। अन्यथा निर्धारित अवधि उपरान्त आवंटी अधिकारी का मकान किराया भत्ता बन्द करने के आदेश प्रसारित कर प्रति इस विभाग को भिजवाने का श्रम करावें।
8. आवंटी को आवंटित राजकीय आवास का कब्जा देने से पूर्व संबंधित अधिशाषी अभियन्ता को यह घोषणा करनी होगी:-
 1. आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे है।


2. आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा कोई स्वयं/पति/पत्नि व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम से जयपुर में निजी आवास निर्मित/कय नहीं किया है।
9. कम संख्या 2 पर अंकित कर्मचारियों से उनके वेतन से कॉमन सुविधा शुल्क के पेटे राशि रू0 150/—(अक्षरै एक सौ पच्चास मात्र) कोटे जाकर सीधे राजकोष में जमा कराने होंगे।
10. उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य शर्तें भी मान्य होंगी।
आज्ञा से,

६०

(मनफूल बैरवा)
शासन सहायक सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. जिला कलक्टर, जयपुर।
2. निदेशक सम्पदा/कोष एवं लेखा विभाग, जयपुर।
3. प्राचार्य, शहीद ले0 अभय पारीक, राज0 बा0 उ0 मा0 विद्यालय, जयपुर।
4. प्रभारी अधिकारी, पशु चिकित्सा पालीक्लिनिक, पशुपालन विभाग, जयपुर।
5. प्रभारी अधिकारी, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बनीपार्क, जयपुर।
6. उप शासन सचिव, कार्मिक (ख-1) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
7. राजकीय अधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय,, जयपुर।
8. मुख्य लेखाधिकारी/कोषाधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर।
9. कोषाधिकारी, जयपुर शहर जयपुर।
10. प्रबन्ध निदेशक, राजकॉम, प्रथम तल, योजना भवन, जयपुर- कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेब साईट पर अपडेट करने का श्रम करावें।
11. अनुभागाधिकारी, कामिक (ग) विभाग, जयपुर को नियमानुसार किराया कटौती हेतु।
12. अधिशाषी अभियन्ता, सा0नि0वि0/जन स्वा0 अभि0 वि0/जयपुर वि0वि0निगम लि0, गाँधीनगर, जयपुर।
13. सहायक अभियन्ता,सार्वजनिक निर्माण विभाग चौकी गाँधीनगर,, जयपुर।
14. सम्बन्धित कर्मचारीगण।
15. निजी सहायक, प्रमुख शासन सचिव, साप्रवि।
16. रक्षित पत्रावली।



शासन सहायक सचिव